



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15122022-241094
CG-DL-E-15122022-241094

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5596]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 13, 2022/अग्रहायण 22, 1944

No. 5596]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 13, 2022/AGRAHAYANA 22, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2022

का.आ. 5832(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1844(अ) दिनांक 18.04.2022, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के शामली जिले में NH709B के कि.मी. 67.3 से कि.मी. 137.9 (शामली बाईपास से सहारनपुर खण्ड) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "29-04-2022" को "हिन्दुस्तान" और "हिन्दुस्तान टाइम्स" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के शामली जिले में NH709B के कि.मी. 67.3 से कि.मी. 137.9 (शामली बाईपास से सहारनपुर खण्ड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश		जिले का नाम: शामली			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: शामली				
	गांव का नाम: बलावा				
1	316	निजी	एग्रिकल्चर	0.04225	संजय कुमार / महीपाल / नि. ग्राम मूर्ति देवी पत्नी / स्व० महीपाल / नि. ग्राम सुशील कुमार / अजब सिंह / नि.ग्राम सतीश कुमार / अजब सिंह / नि.ग्राम ज्ञानवती / अजब सिंह / नि.ग्राम कुलवीर / तेलूराम / नि.ग्राम कुलदीप / तेलूराम / नि.ग्राम ()
2	762	निजी	एग्रिकल्चर	0.0873	बाबूराम / सभाचन्द / नि. लिलोन उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण चतुर्थ तल / किसान मण्डी भवन / विभूति खण्ड गोमतीनगर लखनऊ ()
	गांव का नाम: दभेड़ी				
3	73	निजी	एग्रिकल्चर	0.0585	लोकेश पत्ति / विनोद कुमार / नि. ग्राम ()
			कुल	0.18805	

[फा. सं. NHAI/LANOTF/2018/PIU-Baghat/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi the 13th December, 2022

S.O. 5832(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 1844(E) dated 18-04-2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH709B on the stretch of land from Km. 67.3 to Km. 137.9 (Shamli Bypass to Saharanpur) in the district of SHAMLI in the state of UTTAR PRADESH;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Hindustan” and “Hindustan Times” both dated 29-04-2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH709B in the stretch of land from Km. 67.3 to Km. 137.9 (Shamli Bypass to Saharanpur) in the district of SHAMLI in the state of UTTAR PRADESH.

State: UTTAR PRADESH			District: SHAMLI		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Shamli				
	Village: Balwa				
1	316	Private	Agriculture	0.04225	Sanjay Kumar / Mahipal / N. Gram Murti Devi Wife / Late Mahipal / Ni. Gram Sushil Kumar / Ajab Singh / Nigram Satish Kumar / Ajab Singh / Ni.Gram Gyanwati / Ajab Singh / Ni.Gram Kulveer / Teluram / Nigram Kuldeep / Teluram / Nigram
2	762	Private	Agriculture	0.0873	Baburam / Sabhachand / N. lilon Uttar Pradesh State Highway Authority 4th Floor / Kisan Mandi Bhawan / Vibhuti Khand Gomtinagar Lucknow
	Village: Dabheri				
3	73	Private	Agriculture	0.0585	Lokesh w/o Vinod Kumar / N. Gram
			TOTAL	0.18805	

[F. No. NHAI/LANOTF/2018/PIU-Baghat/3D]

RAJESH GUPTA, Director